गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 177वीं बैठक दिनांक 28.03.2024 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की 177वीं बैठक दिनांक 28.03.2024 को सायं 04:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभा कक्ष में संपन्न हुई। बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदय की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

1.	प्रो0 आलोक कुमार चक्रवाल, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो0 ए.एस. रणदिवे	सदस्य
3.	प्रो0 अशोक कुमार मिश्रा	सदस्य
4.	प्रो0 एम.एन. त्रिपाठी	सदस्य
5.	प्रो0 शरद चन्द्र श्रीवास्तव	सदस्य
6.	प्रो0 राजेन्द्र मेहता	सदस्य
7.	प्रो0 सी.एस. वझलवार	सदस्य
8.	प्रो0 ब्रजेश तिवारी	सदस्य
9.	प्रो0 एस.सी. तिवारी	सदस्य
10.	प्रो0 एच.एस.तिवारी	सदस्य
11.	प्रो0 रामकृष्ण प्रधान	सदस्य
12.	प्रो0 संतोष कुमार प्रजापति	सदस्य
13.	डॉ0 बबिता माझी	सदस्य
14.	डॉ0 पायल बनर्जी	सदस्य
15.	डॉ0 एस. श्वेता	सदस्य
16.	प्रो0 भारती अहिरवार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (विकास)	विशेष आमंत्रित सदस्य
17.	श्री एच.एन. चौबे, परीक्षा नियंत्रक	विशेष आमंत्रित सदस्य
18.	प्रो0 मनीष श्रीवास्तव, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नानुसार सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके :–

1. प्रो0 सीमा राय

बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया। कुलपति महोदय ने बैठक के प्रारंभ में कहा कि कार्यों में एवं व्यवहार में गति एवं निरंतरता बनी रहनी चाहिए तभी लक्ष्य की प्राप्ति होती है। विश्वविद्यालय के सभी सदस्यों को एक साथ सहयोगात्मक व्यवहार के साथ कार्य करने के लिए प्रेरणादायी उद्बोधन दिया। तत्पश्चात् निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

विषय क्र.01 **विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 176वीं बैठक दिनांक 16.03.2024 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।**

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद की स्थायी समिति की 176वीं बैठक दिनांक 16.03.2024 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की जाय।

28/03/2024

विषय क्र. 02 **विद्यापरिषद की स्थायी समिति की 176वीं बैठक दिनांक 16.03.2024 के पालन प्रतिवेदन का अवलोकन करना।**

निर्णय :— विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने स्थायी समिति की 176वीं बैठक दिनांक 16.03.2024 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की एवं कृत कार्यवाही की पुष्टि की।

विषय क्र. 03. **NEP स्नातक परीक्षा सत्र 2023—24 के अंकसूची मुद्रित किए जाने पर विचार।**

निर्णय :— विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि NEP स्नातक परीक्षा सत्र 2023—24 के अंकसूची मुद्रित किए जाने संबंधी प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति है, परन्तु प्रस्तुत प्रारूप में आंशिक संशोधन की आवश्यकता है। अतः बैठक में सुझाये गये संशोधनों को शामिल करते हुए नवीन प्रारूप तैयार कर कार्यवाही सम्पन्न की जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि सुझाये गये संशोधनों को शामिल करने के उपरान्त कृत कार्यवाही की जानकारी एवं सूचना स्थायी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाय।

विषय क्र. 04. **स्वावलंबी छत्तीसगढ़ योजना और गुरू घासीदास विश्वविद्यालय स्टार्ट—अप फाउंटेशन जीएसएफ कंपनी के माध्यम से गुरू घासीदास विश्वविद्यालय के उत्पादों की बिक्री और विपणन के लिए दिशा—निर्देशों पर विचार।**

निर्णय :— विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत विषय को स्थगित रखा जाय।

विषय क्र. 05. **बालक एवं बालिका छात्रावासों हेतु "Hostelers Growth Intiative; Unlocking Potential" के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन पर विचार।**

निर्णय :— विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि बालक एवं बालिका छात्रावासों हेतु "Hostelers Growth Intiative; Unlocking Potential" के लिए प्रस्तुत प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।

विषय क्र. 06. **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी NCrF Guidlines पर विचार एवं अनुभवजन्य शिक्षा (Experiential Learning)/कौशल आधारित (Skill Based Education) शिक्षा के लिये क्रेडिट निर्धारण पर विचार।**

निर्णय :— विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी NCrF Guidlines को अंगीकृत किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशा—निर्देशों के अनुपालन में अनुभवजन्य शिक्षा (Experiential Learning)/कौशल आधारित (Skill Based Education) शिक्षा के लिये क्रेडिट निर्धारण हेतु नीति निर्धारण के लिए प्रस्ताव प्रारूपित करने हेतु समिति गठित की जाय। समिति के सदस्य नामित किये जाने हेतु कुलपति महोदय अधिकृत रहेंगे।

28/03/2024

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरणों पर विचार

अ.अ.वि.क्र.1 **गुरू घासीदास विश्वविद्यालय एवं महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, दुर्ग के मध्य समझौता ज्ञापन किये जाने संबंधी प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार।**

निर्णय :– विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि गुरू घासीदास विश्वविद्यालय एवं महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, दुर्ग के मध्य समझौता एमओयू किये जाने संबंधी प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय एवं समझौता किये जाने संबंधी आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न की जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।

28/03/2024 — 28/03/2024

कुलसचिव (कार्यवाहक) / सचिव — कुलपति / अध्यक्ष